

नम्बर
अहकाम
हुकम की
जारी हुए।

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. ठिमोली
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

1. शायरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नांगली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।वादी

बनाम

1. केशरसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. सुल्तानसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. सुमेरसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. छगनकंवर पत्नि मोहनसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी ग्राम नांगली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा

मुकद्दमा नम्बर - 32/18 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी अन्तिम डिक्री की जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 116 व 128 कुल रकबा 12.69 है0 वाके ग्राम नांगली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर मे मोहनसिंह पुत्र बालसिंह के 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की वर्तमान खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 116 व 128 कुल रकबा 12.69 है0 वाके ग्राम नांगली मे वादी शायरसिंह को 1/40 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 को 1/10 ब.ही.ब उदघोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

निजीX..... मुबलिकX..... बाबत X
खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह X फीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.05.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत रूफये

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	00	00	स्टाम्प वकालत नामा	00.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		